

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)  
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING  
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054.

Dated: 24/9/2014

NOTIFICATION

No. F. 8/19/99/DAM/MR/Pt.File/ 2207 . - Whereas the Lt. Governor considers it necessary that the regulation of marketing of "Jawar Karbi, Bajra, Kavli, Wheat Bhusa, Gram Bhusa, Jawar Green, Jaii Green, Barrseem, Rajka, Loosan and Palla" which are agricultural produce pertaining to items under clause 'VIII. Grass and fodder', specified in the schedule to the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999) shall cease in the National Capital of Territory of Delhi.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to declare his intention to cease the regulation of marketing of agricultural produce of Jawar Karbi, Bajra, Kavli, Wheat Bhusa, Gram Bhusa, Jawar Green, Jaii Green, Berrisum, Rajka, Loosan and Palla in the National Capital Territory of Delhi.

The Lt. Governor is further pleased to direct that any objections or suggestions regarding the proposal for cessation of the regulation of marketing of the aforesaid agricultural produce in the National Capital Territory of Delhi, should be sent to the Director, Directorate of Agricultural Marketing, Government of NCT of Delhi, 49, Shamnath Marg, Delhi-110054 within 45 days of the publication of this notification in the Official Gazette.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE  
LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL  
TERRITORY OF DELHI,

  
(V. P. RAO)  
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)  
GOVT. OF NCT OF DELHI.

- : 2 : -

No. F. 8/19/99/DAM/MR/Pt.File/ 2208 - 2220

Dated: 24/9/2014

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
6. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
7. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
8. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi, Flower Marketing Committee, and Delhi Fodder Market Committee, Tikri Kalan (Magolpuri)
9. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
10. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
12. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
13. Guard file.

(V. P. RAO)

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)  
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 24/9/2014

### अधिसूचना

सं0फा0 8/19/99/डीएम/एमआर/पार्ट फाइल/2207 - जबकि उपराज्यपाल यह आवश्यक समझते हैं कि दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 7) की अनुसूची में खण्ड 'VIII. घास और चारा' के अन्तर्गत ऐसी मद से संबंधित कृषि उपज "जवार कार्बी, बाजरा, कावली, गेहूँ, भूसा, चना भूसा, जवार हरी, जई हरी, बरसम, राजका, लूसान और पाल्ला" के विपणन का विनियमन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में समाप्त हो जाएगा।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कृषि उपज जवार कार्बी, बाजरा, कावली, गेहूँ, भूसा, चना भूसा, जवार हरी, जई हरी, बरसम, राजका, लूसान और पाल्ला के विपणन के विनियमन को समाप्त करने सम्बन्धी अपने इरादे की घोषणा करते हैं।

उपराज्यपाल आगे निदेश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में पूर्वोक्त कृषि उपज के विपणन के विनियमन को समाप्त करने के प्रस्ताव सम्बन्धी किसी आपत्ति या सुझाव इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 49, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054 को भेजी/भेजे जानी/जाने चाहिए।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

( वी. पी. राव )

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं0फा0 8/19/99/डीएएम/एमआर/पार्ट फाइल/2208-2220 दिनांक : 24/9/2014

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 5 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 6 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 7 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 8 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम् पुष्प विपणन समिति, दिल्ली, दिल्ली चारा मण्डी, टिकरी कलां (मंगोलपुरी)।
- 9 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 10 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 11 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 12 संबन्धित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 13 गार्ड फाईल।

( वी. पी. राव )

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार